

# CHATRA NAGAR PARISHAD

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित कर की सूचना

सूचित किये गये सम्पत्ती कर की सूचना  
Memo No. : 617/0018062109571  
Date : 18/08/2021  
प्रभावी : 3/20/2021

श्री/श्रीमती/श्री Priti Devi W/O SANTOSH SONI,  
मोहल्ला Darjibigha chatra CHATRA  
CHATRA : 825401  
7061652869

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं. - 00300003250001 आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0/- रु. निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

क्रम सं.	Particulars	Amount (In Rs)
1.	गृह कर	20.00
2.	जल कर	0.00
3.	शौचालय कर	0.00
4.	बिजली कर	20.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (जहाँ जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		20.00



नोट:-

- कर निर्धारण की सूची CHATRA NAGAR PARISHAD Website [suda.jharkhand.gov.in](http://suda.jharkhand.gov.in) पर प्रदर्शित है।
- नियमावली कडिना 11.4 के अंतर्गत जहाँ जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर का निर्धारण किया गया है, जहाँ जल संरक्षण संरचना लगा कर निगम को सूचित करे तथा अतिरिक्त गृह कर का भुगतान नगरीय निकाय को कर देना होगा।
- पन्चैक वित्तीय वर्ष में सम्पत्ति कर का भुगतान त्रैमासिक देय होगा।
- यदि किसी वर्ष में सम्पत्ति कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो 5% की रियायत दी जाएगी।
- किसी देय घात को निर्दिष्ट समयवधि (प्रति तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाना जाता है, तो 5% की रियायत दी जाएगी।
- यह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं सौ गृह घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण के तथ्य गलत पाए जाने पर नियमावली कडिना 13.2 के अनुसार निर्धारित शक्ति (Fines) एवं अंतर राशि देय करनी होगी।
- CHATRA NAGAR PARISHAD द्वारा संचालित इस सम्पत्ति कर इन इमारतों/घरों को कोई कामना है, जो कोई कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
- अगर आपके नये होल्डिंग नमों का आखिरी अंक 5/6/7/8 है तो यह विशिष्ट संरचनाओं की श्रेणी के अन्तर्गत आयेगा।

NOTE : This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.

To be signed by the applicant

आपका नया गृह सं. 00300003250001 आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0/- रु. निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।